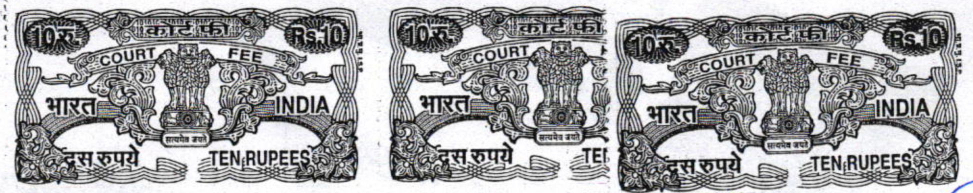

(33)

श्री गुलाब सिंह चौहान अभिभाषक द्वारा 21.11.17 को कैम्प में प्रस्तुत किया।
21.11.17

न्यायालय श्रीमान् समक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
(कैम्प भोपाल)

राजस्व निगरानी क्रमांक : /निग./पी.आर.बी./2017

01. **जबारीलाल** पुत्र श्री सादूलाल, PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/4869
वयस्क, जाति आदिवासी

02. **फूल सिंह** पुत्र श्री सादूलाल,
वयस्क, जाति आदिवासी

03. **श्रीमती देबा बाई** विधवा धनसिंह
वयस्क, जाति कोरकू आदिवासी

04. **मेन्युअल मेडा** पुत्र श्री मायकल मेडा,
आयु 62 वर्ष, निवासी – म. नं. 873/एन–2,
हबीबगंज, बी.एच.ई.एल, भोपाल (म.प्र.)

05. **श्रीमती गोरा बाई** बेवा चरन सिंह, आयु 77 वर्ष

06. **श्रीमती शांता बाई** बेवा चरन सिंह, आयु 55 वर्ष

07. **श्रीमती लता बाई** पुत्री चरन सिंह, आयु 53 वर्ष

08. **श्रीमती दुलारी बाई** पुत्री चरन सिंह, आयु 57 वर्ष

09. **प्रहलाद सिंह** पुत्र चरन सिंह, आयु 47 वर्ष

10. **कंचन सिंह** पुत्र चरन सिंह, आयु 37 वर्ष

11. **मोहर सिंह** पुत्र चरन सिंह, आयु 40 वर्ष

12. **श्रीमती श्याम बाई** पुत्री चरन सिंह, आयु 34 वर्ष

13. **मोहर बाई** पुत्री चरन सिंह, आयु 37 वर्ष
जाति कोरकू (आदिवासी), निवासी ग्राम कुमढ़ी,
बिठौरी, तहसील गौहरगंज, ज़िला रायसेन .... **निगरानीकर्तागण**

विरूद्ध

01. **देवीप्रसाद** आत्मज भंवरजी पाटीदार, वयस्क

02. **विजय कुमार** आत्मज श्री देवी प्रसाद पाटीदार, वयस्क

03. **अरविन्द** आत्मज छोगमल पाटीदार, वयस्क

04. **दिनेश** आत्मज छोगमल पाटीदार, वयस्क

05. **मुरली** आत्मज छोगमल पाटीदार, वयस्क
सभी निवासीगण – ग्राम जाटखेड़ी (मिसरोद)
तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल (म.प्र.) ....**उत्तरदातागण**

निरंतर ....

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959

महोदय जी,

राजस्व निरीक्षक मण्डल, मण्डीदीप क्रमांक 01 तहसील गौहरगंज, ज़िला रायसेन द्वारा पंजी क्रमांक 78, आदेश दिनांक 10/10/2012 के पालन में की गई सीमांकन दिनांक 28/10/2012 एवं 07/11/2012 की सम्पूर्ण कार्यवाही एवं आदेश से दुःखी होकर यह निगरानी जानकारी होने पर ज्ञान के दिनांक 14/09/2017 से प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष समय सीमा में सादर प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / रायसेन / भू.रा. / 2017 / 4369

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदकगण की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 28–10–2012 एवं 7–11–12 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 2–11–2017 को लगभग 5 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदकगण की ओर से विलम्ब के सम्बन्ध में कोई पर्याप्त कारण नहीं दर्शाये गये हैं, अतः उनका आवेदन समाधानकारक नहीं होने से यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	